न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–प्रदीप सिंह सांगावत (आर ए एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 116/2022

पंजीयन दिनांक– 3.8.2022

1.रतन पिता चतरभुज गाडरी निवासी–बानसेन तहसील भदेसर जिला–चित्तौडगढ ।

–अपीलांट

विरुद्ध

1.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला–चित्तौडगढ।

2.सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौडगढ ।

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 199/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.7.2022

उपस्थित– 1. सावन श्रीमाली –अधिवक्ता अपीलांट

2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं.1,2

निर्णय

दिनांकः– 27.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है वादी/अपीलांट ने एक वाद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88–188 के तहत मौजा बानसेन, तहसील भदेसर में वादी अपीलांट के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजियात जिसके खाता संख्या 01 की आराजी नम्बर 500 रकबा 0.38 हैक्टेयर के सबंध में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.7.2022 को वादी अपीलांट का वाद अस्वीकार किया गया जिसके विरुद्ध अपील अपीलांट वादी इस न्यायालय में पेश हुई।

इस न्यायालय में अपीलांट वादी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटीस जारी किये गये एवं सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेंट प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली जरिये पत्रांक तलब की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजियात ग्राम बानसेन के खाता संख्या 01 की आराजी नम्बर 500 रकबा 0.38 हैक्टेयर में से 0.20हैक्टेयर कृषि आराजियात अपीलांट वादी के आधिपत्य उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाप दादाओ के समय से चली आ रही है उक्त कृषि आराजियात का राज्य सरकार में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के तहत की जा रही कार्यवाही में वार्षिक लगान का 50 गुणा शास्ति राशि जमा कराता चला आ रहा है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट वादी को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो कानूनी प्रावधानो के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है । अंत में उन्होने अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज होकर सरकारी आराजियात है। अपीलांट वादी ने सरकारी आराजियात आराजी नम्बर 500 रकबा 0.38 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर आराजियात के सम्बन्ध में घोषणा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस व नकल नोटिस जो उपतहसीलदार भादसौडा के द्वारा वर्ष 2018, 2019 व 2020 में अपीलांट वादी के द्वारा उक्त कृषि आराजियात पर अनाधिकृत कब्जा कर लेने से अतिक्रमण के सम्बन्ध में जारी किया गया व अपीलांट वादी पर शास्ति भी आरोपित की गई। अपीलांट वादी का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में नियमन योग्य नही है व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से जो रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 प्रस्तुत की गई है उसमें भी उक्त आराजियात पर अपीलांट वादी का नियमन योग्य कब्जा नही मानते हुए अतिक्रमी माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंटगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिना तामिल के दिनांक 28.03.2022 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रतिवादी की ओर से दिनांक 20.07.2022 को आपति प्रस्तुत की गई। उक्त आपति को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलांट वादी का वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए अपीलांट वादी को अतिक्रमी मानते हुए वादपत्र निरस्त किया गया जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत निर्णय व डिक्री है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत अपील विधिविरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व उक्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोर्डेट संख्या । प्रतिवादी की ओर से मौका रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 प्रस्तुत की गई है जिसमें आराजी नम्बर 500 रकबा 0.38 हैक्टर बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है व उक्त आराजियात में से 0.20 हैक्टर भूमि में से अपीलांट वादी का अतिक्रमण बताया गया है। अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी, नकल लगाान की रसीदे व अतिक्रमण के नोटिस का अवलोकन करने से अपीलांट वादी का नियमन योग्य अतिक्रमण नही होकर आकस्मिक अतिक्रमण है जिसके आधार पर अपीलांट वादी घोषणा कराये जाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.03.2022 को रेस्पोर्डेट प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिना तामिल व बिना सुनवाई के अपीलांट वादी का वादपत्र डिक्री किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन को स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2022 को निरस्त किये जाने की जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधिसंगत होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य नही हैं।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 199/2021 निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.7.2022 यथावत रखी जाती है । डिकी पर्चा जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्य प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

(प्रदीप सिंह सांखला)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 116/2022/डिक्री

1.रतन पिता चतरभुज गाडरी निवासी-बानसेन तहसील भदेसर जिला-चित्तौडगढ ।

-अपीलांट

विरूद्ध

1.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला-चित्तौडगढ।

2.सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौडगढ ।

रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 199/21 निर्णय व डिकी दिनांक 20.07.2022 वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 199/2021 निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.7.2022 यथावत रखी जाती है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ (राज.)
चित्तौड़गढ